(3)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गिरिराज बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	362/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
08/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/06/2011 पारित करते हुए तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम कानोता का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों की उपस्थिति में विभाजन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से उसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है एवं सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रियां है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन को रोका जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	